

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

दिनांक-.....

विषय :- जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष-2029 अन्तर्गत विषय शीर्ष-2802, संविदा सेवायें मद में वित्तीय वर्ष-2026-27 हेतु ₹42,67,59,540/- (बेयालिस करोड़ सड़सठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ चालिस) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवायें से विकलनीय होगा।

3. जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सहित) का मानदेय भुगतान हेतु राशि ₹42,67,59,540/- (बेयालिस करोड़ सड़सठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ चालिस) रुपये मात्र की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए ही भुगतान होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला (अनु०-1) के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार से की जायेगी।

5. राशि की निकासी के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत्संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013, 2401, दिनांक-18.07.2007 एवं 1718, दिनांक-06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि से अंचल कार्यालयों एवं अन्य राजस्व कार्यालयों/भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सहित) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. आवंटन आदेश अलग से निर्गत की जायेगी।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

10. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव में सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

अनु० :- यथोक्त (अनुसूची-1)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(डॉ० महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

ई-गेल

ज्ञापक-4/क्षेत्रा संविदा (आवंटन)-16-01/2023-.....(4)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी समाहर्ता/सभी कोषागार पदाधिकारी, (कटिहार, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, अरवल एवं बक्सर को छोड़कर)/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विभागीय प्रशाखा-5 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त (अनुसूची-1)

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-4/क्षेत्रा संविदा (आवंटन)-16-10/2023-492(4)/रा0, पटना-15, दिनांक-03/09/26

प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु० :-यथोक्त (अनुसूची-1)

[Handwritten signature]

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची-1

क्र.	जिला	अंचल/अन्य राजस्व कार्यालयों हेतु
1	दरभंगा	1,14,21,178 / - (एक करोड़ चौदह लाख इक्कीस हजार एक सौ अठहत्तर) रुपये
2	गोपालगंज	1,43,58,172 / - (एक करोड़ तेतालिस लाख अठावन हजार एक सौ बहत्तर) रुपये
3	मधेपुरा	1,29,40,805 / - (एक करोड़ उनतीस लाख चालिस हजार आठ सौ पाँच) रुपये
4	बाँका	52,77,867 / - (बावन लाख सतहत्तर हजार आठ सौ सड़सठ) रुपये
5	समस्तीपुर	2,13,61,816 / - (दो करोड़ तेरह लाख इक्सठ हजार आठ सौ सोलह) रुपये
6	किशनगंज	49,04,224 / - (उनचास लाख चार हजार दो सौ चौबीस) रुपये
7	रोहतास	1,18,91,446 / - (एक करोड़ अठारह लाख इक्याजवे हजार चार सौ छियालिस) रुपये
8	बेगूसराय	1,63,38,037 / - (एक करोड़ तिरेसठ लाख अड़तीस हजार सैतीस) रुपये
9	मुजफ्फरपुर	1,94,22,110 / - (एक करोड़ चौरानवे लाख बाईस हजार एक सौ दस) रुपये
10	पटना	1,67,80,705 / - (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार सात सौ पाँच) रुपये
11	भागलपुर	1,07,11,112 / - (एक करोड़ सात लाख ग्यारह हजार एक सौ बारह) रुपये
12	शेखपुरा	58,96,440 / - (अठावन लाख छियानवे हजार चार सौ चालिस) रुपये
13	अररिया	83,59,108 / - (तेरासी लाख उनसठ हजार एक सौ आठ) रुपये
14	लखीसराय	62,50,000 / - (बासठ लाख पचास हजार) रुपये
15	मुंगेर	58,59,620 / - (अठावन लाख उनसठ हजार छः सौ बीस) रुपये
16	सीवान	1,51,58,888 / - (एक करोड़ इक्यावन लाख अठावन हजार आठ सौ अठासी) रुपये
17	औरंगाबाद	1,00,85,646 / - (एक करोड़ पचासी हजार छः सौ छियालिस) रुपये
18	भोजपुर	1,62,08,406 / - (एक करोड़ बासठ लाख आठ हजार चार सौ छः) रुपये
19	सीतामढ़ी	1,79,14,624 / - (एक करोड़ उन्नासी लाख चौदह हजार छः सौ चौबीस) रुपये
20	जमुई	1,35,47,654 / - (एक करोड़ पैतीस लाख सैतालिस हजार छः सौ चौवन) रुपये
21	मधुबनी	2,32,21,145 / - (दो करोड़ बत्तीस लाख इक्कीस हजार एक सौ पैतालिस) रुपये
22	सारण	1,37,92,884 / - (एक करोड़ सैतीस लाख बानवे हजार आठ सौ चौरासी) रुपये
23	जहानाबाद	64,92,169 / - (चौसठ लाख बेरानवे हजार एक सौ उनहत्तर) रुपये
24	वैशाली	2,16,70,864 / - (दो करोड़ सोलह लाख सत्तर हजार आठ सौ चौसठ) रुपये
25	सुपौल	1,19,61,780 / - (एक करोड़ उन्नीस लाख इक्सठ हजार सात सौ अस्सी) रुपये
26	पूर्वी चम्पारण	1,92,26,009 / - (एक करोड़ बेरानवे लाख छब्बीस हजार नौ) रुपये
27	सहरसा	1,26,82,789 / - (एक करोड़ छब्बीस लाख बेरासी हजार सात सौ नवासी) रुपये
28	नालंदा	1,80,17,661 / - (एक करोड़ अस्सी लाख सतरह हजार छः सौ इक्सठ) रुपये
29	खगड़िया	80,79,259 / - (अस्सी लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ) रुपये
30	गया	97,83,896 / - (संतानवे लाख तिरासी हजार आठ सौ छियानवे) रुपये
31	नवादा	1,01,76,717 / - (एक करोड़ एक लाख छिहत्तर हजार सात सौ सतरह) रुपये
32	पूर्णियाँ	1,81,16,634 / - (एक करोड़ इक्यासी लाख सोलह हजार छः सौ चौतीस) रुपये
33	कैमूर	88,49,875 / - (अठासी लाख उनचास हजार आठ सौ पचहत्तर) रुपये
कुल-		₹42,67,59,540 / - (बेयालिस करोड़ सड़सठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ चालिस) रुपये

(डॉ० महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।